Share Deptt. & Investors' Grievances Cell
Head Office

Ref. No. HO/SD/16 Dated: 07.04.2016

The Vice President
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Bandra- Kurla Complex
Bandra East,
Mumbai-400 051

The Secretary
Bombay Stock Exchange Ltd.
25,P.J.Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Dear Sir,

**Sub: Forwarding of Copy of Notice of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank**

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of the Notice of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank scheduled to be held on 04.05.2016.

This is for your kind perusal and records please.

Yours faithfully,

(Dina Nath Kumar)
Chief Manager (Comp. Sec.)

**Encl**: As Stated

# इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

# Allahabad Bank

**(A Govt. of India Undertaking)**

## विश्वास की परंपरा

## A TRADITION OF TRUST

## असाधारण आम सभा की सूचना
## बुधवार, 04 मई, 2016
## पूर्वाह्न 10.30 बजे

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
## Wednesday, 04th May, 2016
## 10.30 a.m.

---

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
वेबसाइट : **http://www.allahabadbank.in**

**Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001**
**Website : http://www.allahabadbank.in**

इलाहाबाद बैंक

# Allahabad Bank

**प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001**

**Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001**

## महत्वपूर्ण तिथियां / IMPORTANT DATES

| | |
|---|---|
| असाधारण आम सभा की तिथि, समय और स्थान<br><br>Date, time and place of Extraordinary General Meeting | बुधवार, 04 मई, 2016 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, भाषा भवन ऑडीटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027<br><br>Wednesday, the 04th May, 2016 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027. |
| सभा की कार्यसूची के मद पर मत देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए नियत तिथि<br><br>Cut-off Date for ascertaining eligibility of the Shareholders to vote on Agenda item of the meeting. | बुधवार, 27 अप्रैल, 2016 (कार्य समय की समाप्ति)<br><br>Wednesday, the 27th April, 2016 (Close of business hour). |
| यथायोग्य निष्पादित प्राक्सी फार्म एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) को नियुक्त करने के लिए संकल्प(पों) की प्रति प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि<br><br>Last date for receipt of duly executed proxy form and copy of resolution(s) for appointing authorized representative(s) | शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016, अपराह्न 5.00 बजे तक<br><br>upto 5.00 p.m. on Friday, the 29th April, 2016. |
| रिमोट ई-वोटिंग<br><br>Remote e-voting | रविवार, 01 मई, 2016 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से मंगलवार 03 मई, 2016 को अपराह्न 5.00 बजे तक<br><br>From 10.00 a.m. on Sunday, the 01st May, 2016 to 5.00 p.m. on Tuesday, the 03rd May, 2016. |

# इलाहाबाद बैंक

**प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001**

## सूचना

**एतद्द्वारा सूचना दी जाती है** कि इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा, बुधवार, 04 मई, 2016 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन ऑडीटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 में निम्नांकित व्यवसाय के निमित्त आयोजित की जाएगी :

यथा संशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार बोर्ड/समिति द्वारा यथा निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर ₹53.17 (रुपये तिरपन एंव पैसे सत्रह मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹63.17 (रुपये तिरसठ एंव पैसे सत्रह मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 10,92,29,064 (दस करोड़ बयानबे लाख उनतिस हजार चौसठ) इक्विटी शेयरों का नकद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर संकलित ₹690.00 करोड़ (रुपये छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) तक सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने हेतु तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो, आशोधन(नों) सहित या रहित, निम्नांकित को **विशेष संकल्प(पों)** के बतौर पारित किए जाने हेतु विचारार्थ :

**"यह संकल्प लिया जाता है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात **'अधिनियम'** कहा गया है) के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात **'योजना'** कहा गया है) एवं इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), एवं /अथवा इस संबंध में अपेक्षित कोई अन्य प्राधिकार के अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अधीन एवं उसमें निहित निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अधीन जैसा कि इस प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा जिसपर बैंक के निदेशक मंडल ने सहमति दी हो एवं यथासंशेधित, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम, 2009 {सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009} एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संगत प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियम, 2015 एवं स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात **'बोर्ड'** के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा गठित की गई/की जा सकने वाली समिति शामिल मानी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करती है) को यथा संशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार बोर्ड/समिति द्वारा यथा निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर ₹53.17 (रुपये तिरपन एंव पैसे सत्रह मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹63.17 (रुपये तिरसठ एंव पैसे सत्रह मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 10,92,29,064 (दस करोड़ बयानबे लाख उनतिस हजार चौसठ) इक्विटी शेयरों का नकद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर संकलित ₹690.00 करोड़ (रुपये छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) तक सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने हेतु बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं एतद्द्वारा दी जाती है।"

**"यह भी संकल्प लिया जाता है कि** निर्गम मूल्य के निर्धारण की संगत तारीख **सोमवार, 04 अप्रैल, 2016** है।"

**"यह भी संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड को भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं संस्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्ताव में अपेक्षित एवं अधिरोपित किसी भी आशोधन, बोर्ड द्वारा यथा सहमत, को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी।"

**"यह भी संकल्प लिया जाता है कि** इस संकल्प के अनुसार अधिमानी आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर डिमैटिरियलाइज्ड रूप में तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के चैप्टर VII के तहत वर्णित अवरूद्धता (लॉक-इन) अपेक्षाओं के अधीन जारी किए जाएंगे तथा हर दृष्टि से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों (लाभांश सहित) के समकक्ष होंगे।"

**"यह भी संकल्प लिया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल, ईक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने, जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे तथा इस संबंध में संभावित किसी शंका, कठिनाई अथवा संदेह के समाधान हेतु और साथ ही सभी दस्तावेजों तथा लेखन जैसे आवश्यक, वाँछनीय अथवा उचित समझे ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और बात, जिसे वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित अथवा वाँछनीय समझे, शेयरधारकों की और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की मांग अथवा प्राधिकृत किए बिना यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।"

**"यह भी संकल्प लिया जाता है कि** निदेशक मंडल उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से अपनी किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियाँ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशकों में से किसी को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों), जैसा वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

(राकेश सेठी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः कोलकाता
तारीखः 04 अप्रैल, 2016

# ALLAHABAD BANK

## Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

## NOTICE

**NOTICE IS HEREBY GIVEN**, that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Allahabad Bank will be held on Wednesday, the 04th May, 2016 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027, to transact the following business:

To create, offer, issue and allot upto 10,92,29,064 (Ten crore ninety two lac twenty nine thousand sixty four) equity shares of face value of ₹10/-(Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹63.17 (Rupees sixty three and paise seventeen only) per equity share including a premium of ₹53.17 (Rupees fifty three and paise seventeen only) per equity share as determined by the Board/Committee in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹690.00 crore (Rupees six hundred ninety crore only) on preferential basis to Government of India (President of India) and to consider and if thought fit, pass with or without modification(s) the following as **Special Resolution(s):**

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and /or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 {SEBI (ICDR) Regulations,2009}, as amended and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot upto 10,92,29,064 (Ten crore ninety two lac twenty nine thousand sixty four) equity shares of face value of ₹10/-(Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹63.17 (Rupees sixty three and paise seventeen only) per equity share including a premium of ₹53.17 (Rupees fifty three and paise seventeen only) per equity share as determined by the Board/Committee in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹690.00 crore (Rupees six hundred ninety crore only) on preferential basis to Government of India (President of India)."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is **Monday, the 04th April, 2016**."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to Lock-in requirements prescribed under Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and shall rank *pari passu* in all respect (including dividends) with the existing equity shares of the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or in his absence to any of the Executive Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

**(Rakesh Sethi)**
Chairman and Managing Director

Place : Kolkata
Date : 04th April, 2016

**टिप्पणी :**

1. **व्याख्यात्मक विवरण** :

   सभा में की जाने वाली कार्यवाहियों से संबंधित तथ्यात्मक सूचनाओं पर व्याख्यात्मक विवरण एतद्द्वारा संलग्न किया जाता है और यह नोटिस का भाग है।

2. **परोक्षी (प्रॉक्सी) की नियुक्ति** :

   सभा में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को परोक्षी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से बैठक में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे परोक्षी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए उसका बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बैंक के व्यावसायिक समय की समाप्ति पर या उससे पहले अर्थात् शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016 को अपराह्न 05.00 बजे तक शेयर विभाग,इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001 में प्राप्त हो जाना आवश्यक है। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के अनुसार इलाहाबाद बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति** :

   कोई व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक सभा में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति, उस सभा, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रति के रूप में प्रमाणित नहीं की गई है, शेयर विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001, में असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात् बैंक के व्यावसायिक समय की समाप्ति पर या उससे पहले अर्थात् शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016 को अपराह्न 05.00 बजे तक प्राप्त न हो जाए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के अनुसार इलाहाबाद बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र :**

   शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पत्र पास इस सूचना पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। शेयरधारकों/परोक्षी(यों)/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भर लें तथा इसमे यथास्थान हस्ताक्षर कर इसे असाधारण आम सभा स्थल पर प्रस्तुत करें।

5. **रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट से सम्पर्क :**

   भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकृत पते सम्बन्धी किसी प्रकार के परिवर्तन, अंतरण/प्रेषण हेतु अनुरोध, ईसीएस मैंडेट यदि कोई हो, आदि की सूचना देने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर.टी.ए.) से निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें :

   मै. सी बी मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लिमिटेड (यूनिट इलाहाबाद बैंक)
   पी - 22, बँडेल रोड कोलकाता - 700019
   टेलीफोन : 033-40116700, 22806692, 22870263
   फैक्स : 033-40116739
   ई-मेल : rta@cbmsl.com, वेबसाइट : www.cbmsl.com.

   शेयरधारकों को त्वरित एवं सक्षम सेवा प्रदान करने के लिए इलाहाबाद बैंक द्वारा अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में एक निवेशक शिकायत कक्ष स्थापित किया गया है तथा किसी प्रकार की सहायता के लिए शेयरधारक तथा निवेशक उक्त कक्ष से निम्नांकित पतों पर सम्पर्क कर सकते हैं :

| | |
|---|---|
| महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),<br>सी.एफ.ओ. एवं अनुपालन अधिकारी<br>इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय<br>2, नेताजी सुभाष रोड<br>कोलकाता - 700001<br>टेलीफोन नम्बर : 033-22104018<br>फैक्स नम्बर : 033-22104050<br>ई-मेल : gmfa@allahabadbank.in | मुख्य प्रबंधक एवं कंपनी सचिव<br>शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष<br>इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय<br>2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001<br>टेलीफोन नम्बर : 033-22420878<br>फैक्स नम्बर : 033-22623279<br>ई-मेल : investors.grievance@allahabadbank.in |

6. **ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग अधिकार का प्रयोग** :

   सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार सभा में भाग लेने और वोट देने के हकदार शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

   ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/लाभार्थ स्वामियों के ई-वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा यथास्थिति **27.04.2016 (इस प्रयोजन हेतु निर्धारित नियत तिथि)** को धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी।

   ई-वोटिंग मंच उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने मै. नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

7. **ई-वोटिंग हेतु संवीक्षक** :

   बैंक ने ई-वोटिंग की प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता से संचालित करने हेतु मै. एस एन अनंतसुब्रमण्यम एंड कं., कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

**NOTES:**

**1. EXPLANATORY STATEMENT :**

The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

**2. APPOINTMENT OF PROXY :**

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself, and such a proxy need not be a Shareholder of the Bank. The proxy form in order to be effective must be received at Share Department, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m. on Friday, the 29th April, 2016. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

**3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Share Department, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m. on Friday, the 29th April, 2016. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

**4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS :**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum- Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy(ies)/Authorized Representative(s) are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the EGM venue.

**5. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT :**

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, lodge transfer/transmission request (s), E.C.S. Mandate etc. at the following address:-

M/s CB Management Services (P) Ltd.
(Unit: Allahabad Bank),
P-22, Bondel Road, Kolkata-700019,
Phone No. 033-40116700, 22806692, 22870263
Fax: 033-40116739,
E-mail: rta@cbmsl.com, website: www.cbmsl.com.

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Allahabad Bank has set up Investors' Grievances Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

| | |
|---|---|
| The General Manager (F&A),<br>CFO and Compliance Officer<br>Allahabad Bank, Head Office<br>2, Netaji Subhas Road,<br>Kolkata- 700 001<br>Telephone No. -033-22104018<br>Fax No.-033- 22104050<br>E-mail - gmfa@allahabadbank.in | The Chief Manager & Company Secretary<br>Share Deptt. & Investors' Grievance Cell<br>Allahabad Bank, Head Office<br>2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001<br>Telephone No.033-22420878<br>Fax No. 033- 22623279<br>Email- investors.grievance@ allahabadbank.in |

**6. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH E-VOTING :**

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through Remote e-voting.

E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **27.04.2016 (Cut-off date fixed for the purpose).**

The Bank has appointed M/s National Securities Depository Limited (NSDL) as agency for providing the e-voting platform.

**7. SCRUTINIZER FOR E-VOTING :**

The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

**8. ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति :**

(i) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार दिनांक 27.04.2016 (इस प्रयोजन हेतु निर्धारित नियत तिथि) को यथास्थिति बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के समानुपात में होगी।

(ii) वोटिंग अवधि रविवार, 01 मई, 2016 को पूर्वाह्न 10.00 से आरंभ होगी और मंगलवार 03 मई, 2016 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। ई-वोटिंग माड्यूल को एनएसडीएल द्वारा उसी दिन अपराह्न 5.00 बजे डिसेबल कर दिया जाएगा।

(iii) यदि आप ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने हेतु अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(iv) आरंभिक पासवर्ड और यूजर आईडी नोटिस के साथ भेजे जा रहे हैं।

(v) यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके इंटरनेट ब्राउजर लॉंच करें।

(vi) शेयरहोल्डर-लॉगइन को क्लिक करें।

(vii) यूजर आईडी और आरंभिक पासवर्ड के रूप में पासवर्ड डाल कर लॉगइन को क्लिक करें।

(viii) पासवर्ड चेंज मेन्यू प्रकट होगा। इस पासवर्ड को अपनी पसंद के नए पासवर्ड से बदले जो न्यूनतम 8 अंकों/करेक्टर या दोनों के संगम से बना हो। नए पासवर्ड को नोट करें/याद रखें।

(ix) यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किया अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।

(x) ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। ई-वोटिंगःएक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।

(xi) इलाहाबाद बैंक का “EVEN” सेलेक्ट करें।

(xii) अब आप ई-वोटिंग हेतु तैयार हैं क्योंकि कास्ट वोट पेज खुल चुका है।

(xiii) समुचित विकल्प का चयन कर अपना वोट डालें और “सबमिट” पर क्लिक करें और “कन्फर्म” करें।

(xiv) कन्फर्मेशन होने पर “वोट कास्ट सक्सेसफुली” संदेश दिखाई देगा।

(xv) यदि आपने संकल्प पर एक बार वोट दे दिया तो आपको अपने वोट में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

(xvi) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ जेपीजी फार्मेट) में वोट हेतु प्राधिकृत करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) द्वारा विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित संवीक्षक को ई-मेल के माध्यम से scrutinizer@snaco.net मेल पर भेजेंगे और इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजी जाएगी।

(xvii) बहुविध फोलियो/डिमेट खाता रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फालियो/डिमेट खाते हेतु पृथक वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। **तथापि शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2E) के अनुसार भारत सरकार से इतर किसी अन्य शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10.00% से अधिक वोटिंग अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं हैं।**

(xviii) कृपया नोट करें कि एक बार अपना वोट डालने के बाद आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते या असाधारण आम सभा में मतदान में वोट नहीं कर सकते। तथापि आप बैठक में उपस्थित हो सकते हैं और चर्चा,यदि कोई हो, में भाग ले सकते हैं।

(xix) किसी प्रकार की पूछताछ हेतु आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ लें।

(xx) आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन कर सकते हैं जिनका उपयोग भविष्य में पत्राचार हेतु किया जा सकेगा।

**9. ईजीएम स्थल पर वोटिंग/पोलिंग :**

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात बैंक द्वारा कार्यसूची मद के संबंध में मतदान कराया जाएगा। मतदान का संचालन और पर्यवेक्षण इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किए जाने वाले संवीक्षकों के अंतर्गत होगा। असाधारण आम सभा में उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। तथापि, जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट डाल दिया है वे सभा स्थल पर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। मतदान समाप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष सभा समाप्ति की घोषणा करेंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम सहित, मतदान के सकल परिणाम बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से

(राकेश सेठी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः कोलकाता
तारीखः 04 अप्रैल, 2016

**8. PROCESS AND MANNER FOR REMOTE E-VOTING :**

(i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on 27.04.2016 (Cut-off Date fixed for the purpose).

(ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on Sunday, 01$^{st}$ May, 2016 and will end at 5.00 p.m. on Tuesday, 03$^{rd}$ May, 2016. The e-voting module shall also be disabled by NSDL at 5.00 p.m. on the same day.

(iii) If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

(iv) Initial password and User ID are being sent alongwith the Notice.

(v) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/

(vi) Click on Shareholder - Login.

(vii) Insert user ID and password as initial password and click Login.

(viii) Password change menu will appear. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note/Remember new password.

(ix) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) Home page of e-Voting opens. Click on e-Voting: Active Voting Cycles.

(xi) Select “EVEN” of Allahabad Bank.

(xii) Now you are ready for e-Voting as Cast Vote page opens.

(xiii) Cast your vote by selecting appropriate option and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.

(xiv) Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.

(xv) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority Letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

(xvii) Shareholders holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account. **However, shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than the Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10.00% of the total shareholding of the Bank.**

(xviii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on poll at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

(xix) In case of any query, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com.

(xx) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

**9. VOTING AT THE EGM :**

After discussion on the agenda item, the Bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizers to be appointed for the purpose. The shareholders/Proxy (ies)/Authorised Representative(s) present at the venue of the extraordinary general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board of Directors

**(Rakesh Sethi)**
Chairman and Managing Director

Place : Kolkata
Date : 04$^{th}$ April, 2016

<u>व्याख्यात्मक विवरण :</u>

**भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर जारी किया जाना :**

ए) **अधिमानी इश्यू का उद्देश्य :**
सतत परिवर्तनशील व्यवसायिक परिदृश्य के साथ-साथ बासेल III के मानदण्डों के अनुपालनार्थ, अपने उर्ध्वमुखी व्यवसाय स्तर की व्यवस्था, विशेष रूप से बासेल III के मानदण्डों के कार्यान्वयन हेतु बैंक को अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता है। बैंक की पूँजी पर्याप्तता को बढाने एवं बैंक की सामान्य व्यवसायिक आवश्यकता को निधि प्रदान करने में वर्धित पूँजी का प्रयोग किया जाएगा।

बी) **इश्यू मूल्य निर्धारित किए जाने हेतु संगत तिथि सोमवार, 04 अप्रैल, 2016 है।**

सी) इश्यू मूल्य का निर्धारण सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम, 2009 के अध्याय VII, अद्यतन यथा संशोधित, में यथा वर्णित अधिमानी इश्यू हेतु यथा प्रयोज्य विनियम के अनुसार निर्धारित है/किया जाएगा।

डी) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 28.03.2016 के अपने पत्र सं एफ.सं. 7/38/2014-बीओए के माध्यम से ₹690.00 करोड़ (रुपये छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) की पूंजी निधियां निवेशित करने के अपने निर्णय के संबंध में सूचित किया है। अतः समस्त अधिमानी इश्यू, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति)-बैंक के प्रवर्तक (प्रोमोटर) द्वारा सबसक्राइब किया जाएगा।

ई) शेयरधारकों को सूचित हो कि भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति), बैंक के प्रवर्तक ने पहले ही दिनांक 30.03.2016 को ₹690.00 करोड़ (रुपये छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) के अंशदान की रकम को प्रेषित कर दिया है। बैंक ने जिसे शेयर आवेदन रकम खाते में रखा है तथा भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को शेयरों का आबंटन इस संदर्भ में सभी सांविधिक/नियामक अनुमोदनो के पश्चात किया जायेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, बैंक इसे बासेल III आवश्यकताओं के अनुरूप 31 मार्च 2016 को कॉमन इक्विटी का हिस्सा मानेगा।

एफ) **इश्यू पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता का स्वरूप**

| क्र. सं. | श्रेणी | इश्यू पूर्व | | इश्यू पश्चात | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयर की संख्या | शेयरधारिता का प्रतिशत (%) | शेयर की संख्या | शेयरधारिता का प्रतिशत (%) |
| ए | **प्रोमोटर की धारिता (भारत सरकार)** | **376749121** | **61.38** | **485978185** | **67.21** |
| बी | **गैर प्रोमोटर की धारिता** | 237055053 | 38.62 | 237055053 | 32.79 |
| | **कुल** | **613804174** | **100.00** | **723033238** | **100.00** |

जी) बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में यथा वर्णित निर्धारित समय सीमा के अन्दर इश्यू संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

एच) चूंकि समस्त इश्यू भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति), बैंक के सबसे बड़े शेयरधारक तथा बैंक के प्रोमोटर को जारी किया जाएगा, अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आइ) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) का इश्यू पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता निम्नानुसार होगी :

| | शेयरों की सख्या | पूंजी का प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| **इश्यू पूर्व** | **376749121** | **61.38** |
| **इश्यू पश्चात** | **485978185** | **67.21** |

जे) चूंकि भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) एक वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों का अधिग्रहण करेगी अतः बैंक, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) की ओर से सेबी (सबस्टैंसियल एक्वीजीसन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर) विनियम, 2011 के विनियम 3(2) के अंतर्गत सेबी को आवेदन करेगा और शेयरों का आबंटन सेबी से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात ही होगा।

के) बैंक का इक्विटी शेयर छब्बीस सप्ताह से अधिक हेतु सूचीबद्ध रहा है और तदनुसार, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(3) तथा 78(5) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

एल) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा धारित मौजूदा इक्विटी शेयर, संदर्भित तिथि से स्टॉक एक्सचेज द्वारा ट्रेडिंग संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से छः माह तक अवरुद्ध रहेंगे। इसके अलावा, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को जारी किए गए सभी नए इक्विटी शेयर ट्रेडिंग संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्षो तक अवरुद्ध रहेंगे।

एम) सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक (कों) द्वारा यह अभिप्रमाणित करते हुए कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप इश्यू जारी किए गए हैं, प्रमाण-पत्र असाधारण आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

एन) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं तथा बैंकने स्टॉक एक्सचेज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियम, 2015 और/या सूचीबद्धता करार में यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की सतत सूचीबद्धता की शर्तो का नियमित अनुपालन किया है। भारत सरकार ने संगत तिथि के पूर्व के छः माह के दौरान बैंक का कोई भी इक्विटी शेयर बेचा नहीं है।

ओ) सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियम, 2015 के विनियम 41(4) के अनुरूप, किसी प्रतिभूति के आबंटन के लिये शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है, यदि उन्हें उस प्रतिभूति का आबंटन अनुपातिक आधार पर नहीं किया जाता है।

पी) बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुरूप इक्विटी शेयर के मूल्य की, जहां आवश्यक हो, पुनर्संगणना करेगा।

क्यु) बैंक यह वचन देता है कि यदि मूल्य की पुनर्संगणना के कारण देय राशि का भुगतान सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में निर्धारित समय के अन्दर नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रतिभूतियों को उस समय तक अवरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि ऐसी राशि का आबंटिती द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता।

**निदेशक मंडल सूचना की कार्यसूची मद में यथा वर्णित विशेष संकल्प(पों) पर आपके अनुमोदन हेतु संस्तुति करता है।**

**निदेशकों तथा अन्य प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारियों का हित :**

बैंक के किसी भी निदेशक तथा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति की अपने संबंधियों सहित उपर्युक्त संकल्प(संकल्पों) में रूचि अथवा संबंध नहीं है।

**EXPLANATORY STATEMENT :**

**ISSUANCE OF EQUITY SHARES TO GOVERNMENT OF INDIA (PRESIDENT OF INDIA) ON PREFRENTIAL BASIS:**

**a) Objects of the Preferential Issue:**

**To cater to** its increasingly growing business level in the continually changing business scenario as well as to comply with the BASEL-III norms, the bank needs additional capital, particularly for implementation of BASEL-III norms. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

**b) The Relevant Date for ascertaining the Issue Price is 04th April, 2016.**

**c)** The Issue Price will be/is determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended upto date.

**d)** The Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide their letter No. F.No. 7/38/2014-BOA dated 28.03.2016 has conveyed its decision to infuse capital funds to the tune of ₹690.00 crore (Rupees six hundred ninety crore only). As such the entire preferential issue will be subscribed by the Government of India– the Promoter of the Bank.

**e) Shareholders may note that Government of India (President of India), the promoter of the Bank has already remitted an amount of ₹690.00 crore on 30.03.2016 as subscription money. The Bank is maintaining the same in the "Share Application Money Account", and will allot the shares to Government of India (President of India) after receipt of all statutory / Regulatory approvals in this regard. With the approval of RBI, the Bank will treat it as part of the Common Equity as at 31st March 2016 as per BASEL-III requirements.**

**f) Shareholding Pattern before and after the Issue:**

| Sl. No. | Category | Before the Issue | | After the Issue | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of Shares | Percentage of share holding (%) | No. of Shares | Percentage of share holding (%) |
| A | **Promoter's Holding (Government of India)** | **376749121** | **61.38** | **485978185** | **67.21** |
| B | **Non-Promoter Holding** | 237055053 | 38.62 | 237055053 | 32.79 |
| | **Total** | **613804174** | **100.00** | **723033238** | **100.00** |

g) The Bank will Endeavour to complete the issue process within the prescribed timelines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

h) As the entire issue is being made to the Government of India (President of India), the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control.

i) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India (President of India) would be as under:

| | Number of Shares | Percentage to Capital (%) |
|---|---|---|
| Pre- issue | **376749121** | **61.38** |
| Post –issue | **485978185** | **67.21** |

j) As Government of India (President of India) would be acquiring more than 5% shares of the Bank in a financial year, the Bank would be making an application on behalf of Government of India to SEBI under Regulation 3 (2) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011 and allotment would be made only after receipt of approval from SEBI.

k) The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78(5) of SEBI (ICDR) Regulations,2009 are not applicable.

l) The existing equity shares held by Government of India (President of India) shall be locked-in from the Relevant Date till six months from the date of grant of Trading Approval by the Stock Exchanges. Further, all the new equity shares issued to the Government of India (President of India) shall be locked-in for a period of three years from the date of Trading Approval.

m) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

n) All the shares held by the Government of India (President of India) are in dematerialized form and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and /or Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity share of the Bank during the six months preceding the relevant date.

**o)** Pursuant to Regulation 41(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if the same are not offered to them on a proportionate basis.

p) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended where it is required to do so.

q) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

**The Board of Directors recommends for your approval of the Special Resolution(s) as set out in the Agenda Item of the Notice.**

**INTEREST OF DIRECTORS AND OTHER KEY MANAGERIAL PERSONS:**

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank including their relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s).

## इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

## उपस्थिति पर्ची

(असाधारण आम सभा स्थल में प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाना है)

**दिन एवं तारीखः बुधवार, 04 मई, 2016**

**समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे**

**स्थान :** भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027

**मैं एतदद्वारा इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं :-**

| | |
|---|---|
| उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर | |
| पंजीकृत फोलियो संख्या/ डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी | |
| शेयरधारक का नाम | |
| धारित शेयरों की संख्या | |

**शेयरधारक (कों)/ प्रॉक्सी (यों)/प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है कि वे असाधारण आम सभा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ विधिवत हस्ताक्षरित (वही नमूना हस्ताक्षर करें जो शेयरधारकों के रजिस्टर प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त करने वाले लिखत में पंजीकृत हैं) उक्त उपस्थिति-पर्ची प्रस्तुत करें। तथापि, प्रवेश सत्यापन/जाँच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में असाधारण आम सभा के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।**

---

## इलाहाबाद बैंक

## प्रवेश पत्र

(असाधारण आम सभा के दौरान अपने पास रखें)

| | |
|---|---|
| उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर | |
| पंजीकृत फोलियो संख्या/डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी | |
| शेयरधारक का नाम | |
| धारित शेयरों की संख्या | |

**नोटः**

1. **सभा के दौरान उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।**
2. **जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं वे ईजीएम स्थल पर वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।**

## ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE: 2, Netaji Subhas Road Kolkata- 700 001

### ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of Entry to the Extraordinary General Meeting venue)

**Day & Date: Wednesday, the 04th May, 2016**

**Time : 10.30 a.m.**

**Place: Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027**

**I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Allahabad Bank:-**

| | |
|---|---|
| Signature of the Shareholder/Proxy/Authorized Representative Present | |
| Regd. Folio No. / DP ID & Client ID | |
| Name of the Shareholder | |
| Number of Shares held | |

**Shareholder(s)/Proxy (ies)/ Authorized Representative (s) are requested to produce the above attendance slip, duly signed, (same as their specimen signatures registered in the register of shareholders/ Instrument appointing Proxy/Authorized Representative), along with the entry pass, for admission to the EGM venue. The admission will, however, be subject to verifications, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance of the EGM venue.**

✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ✂

## ALLAHABAD BANK

## Entry Pass

(To be retained throughout the Extraordinary General Meeting)

| | |
|---|---|
| Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorized Representative Present | |
| Regd. Folio No./ DP ID & Client ID | |
| Name of the Shareholder | |
| Number of Shares held | |

**Note: 1. No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.**

**2. Shareholders who have already cast their vote through remote e-voting are not entitled to vote at the venue of the EGM.**

**इलाहाबाद बैंक**

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता : 700 001

**फार्म "बी"**

**परोक्षी (प्रॉक्सी) हेतु फार्म**

(शेयरधारक सदस्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

| रजिस्टर्ड फोलियो नं. / डी पी आई डी एवं क्लाइंट आई डी ...................................... |
|---|

मैं/हम ........................................................................................................ राज्य के ...................... जिले में स्थित ......................... का/के निवासी इलाहाबाद बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा ...................... राज्य के ......................... जिले में स्थित ................................ का/के निवासी श्री/श्रीमती .................................................. को अथवा उनकी अनुपस्थिति में ..................................... राज्य के ............................. जिले में स्थित ............................ का/के निवासी श्री/श्रीमती ................................ को दिनांक 04.05.2016 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027 में सम्पन्न होने वाली इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिये अपना परोक्षी नियुक्त करता हूं/करती हूं/करते हैं।

इस पर..........................2016 के.......................दिन हस्ताक्षर किए।

| कृपया 1 रुपए का रसीदी टिकट चिपकाए |
|---|

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम : ..................................................................

पता : ..................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.......................................

परोक्षी के हस्ताक्षर

**परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश**

1. परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म तभी वैध होगा जब;
   - ए) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह लिखित रूप में उसके द्वारा अथवा विधिवत रूप से प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   - बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके /उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   - सी) किसी निगमित निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी एवं कंपनी की मुहर, यदि हो, द्वारा निष्पादित की जाएगी या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
2. जिस परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर शेयरधारक अंगूठा निशान, अंकित करता है तो वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
3. परोक्षी (प्रॉक्सी) के साथ
   - ए) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
   - बी) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात अपराह्न 5.00 बजे या उससे पहले शेयर विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा इलाहाबाद बैंक अथवा इसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।
5. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत स्टाम्पित न हो।
6. बैंक में जमा किया गया परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगा।
7. यदि परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
8. जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण आम सभा में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबधित हो।
9. इलाहाबाद बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
10. कोई भी परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म तब तक वैध नहीं होगी जब तक फार्म - 'बी' पर न हो।

**नोट- नियुक्त किए गए परोक्षी (प्रॉक्सी) को सभा में सभा की कार्यसूची की मद पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।**

**ALLAHABAD BANK**

**H.O: 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001**

**Form "B"**

Form for Proxy

( To be filled in and signed by the shareholder member)

| |
|---|
| Regd. Folio No. / DPID & Client ID ............................................................................................ |

I/We ..........................................................................................resident/s of................................................................. in the district of …………………………………………………………………… in the state of…………………………………………………… ....................................being a share holder/s of Allahabad Bank, hereby appoint Shri/Smt.................................................................. .................................................................................. resident of ........................................................................................ in the district of ………………………………………………………………………………………………………………….or failing him/her. Shri/Smt .......................................................................................resident of................................................................in the district of ..................................................in the state of.......................................................................................... as my /our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on 04.05.2016 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027 and at any adjournment thereof.

Signed this............................................................ day of ......................................... 2016

| |
|---|
| Please affix<br>One Rupee<br>Revenue<br>Stamp |

………………………....
Signature of the Proxy

Signature of the First/Sole Holder

Name ......................................
Address ......................................
......................................
......................................

**Instructions for signing and lodging the Proxy form**

1. The instrument of proxy to be valid
   (a) in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorized in writing.
   (b) in case a joint holder, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorized in writing.
   (c) in case of body corporate, shall be signed by its officer and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate,Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Allahabad Bank.
3. The Proxy together with
   (a) the power of attorney or other authority ( if any) under which it is signed or
   (b) a copy of that power of Attorney or Authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Allahabad Bank, Head Office not later than **FOUR Days** before the date of Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the close of business hours i.e. upto 5.00 p.m. on Friday, the 29th April, 2016.
4. In case of relevant power of attorney is already registered with Allahabad Bank or its Registrar and Share Transfer Agent , the registration number of power of attorney and date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

**Note: The proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting on the Agenda item of meeting.**

**असाधारण आम सभा,**
**04 मई, 2016**
**मार्ग मानचित्र**

**Extraordinary General Meeting**
**04th May, 2016**
**Route Map**

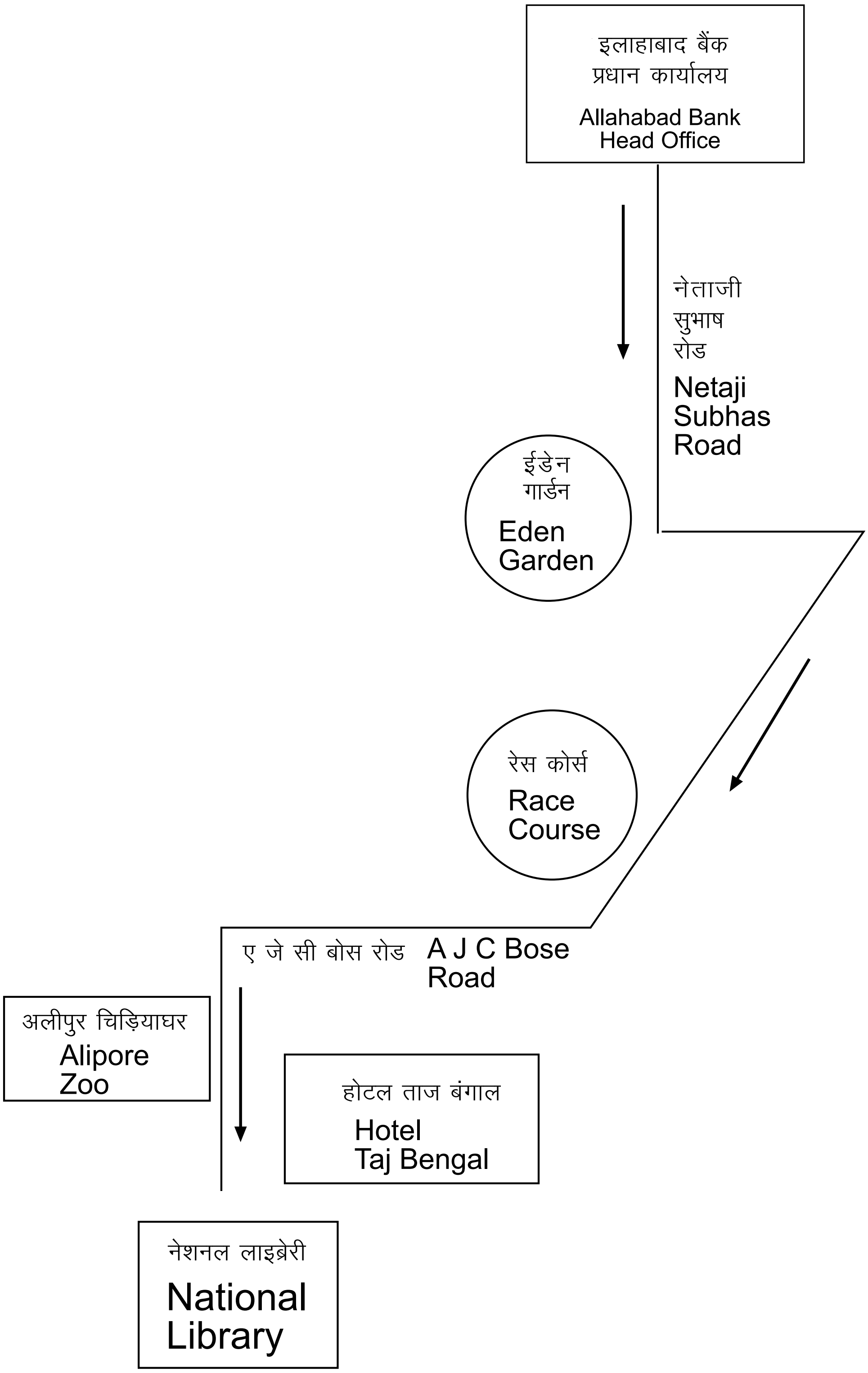

**इलाहाबाद बैंक**

(भारत सरकार का उपक्रम)

# Allahabad Bank

**(A Govt. of India Undertaking)**

**www.allahabadbank.in**

**विश्वास की परंपरा**

A TRADITION OF TRUST

*Design & Printed by Swapna : factory@swapnaprinting.com*